

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि के अधिकारियों के स्थानान्तरण/समायोजन कॉलम संख्या-05 में अंकित विद्यालय में प्रधानाध्यापक-मावि के पद पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क.सं	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6
1	HARI SHANKER RAIGER	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL MINDA (219949),MINDA,MINDA (219949) TO GOVT. SECONDARY SCHOOL SOGDI KI BHAGAL (227428),SOGDI KI BHAGAL,GAONGUDHA (227428)	NAGAU	GOVT. SECONDARY SCHOOL KISHANPURA (218854), DUDU (08121022201)(DUDU (SC))	JAIPUR
2	ASHOK KUMAR CHOUDHARY	GOVT. SECONDARY SCHOOL KACHNARIYA (405680),KACHNARIYA,URSEWA (405680)TO GOVT. SECONDARY SCHOOL TURKADI (222235),TURKADI,GUDABHANDH (222235) BUNDI	JAIPUR	GOVT. SECONDARY SCHOOL JYOTIPURA (222143), DEOLI (08220506702)(DEOLI-UNIARA)	TONK
3	SANDEEP KUMAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANI MOJI (215244)	CHURU	GOVT. SECONDARY SCHOOL BHOBIA (215853), SURAJGARH (08050405202)(PILANI (SC))	JHUNJHUN UN

संबंधित कार्मिक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण/कार्यमुक्त होकर समस्त सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें । राजस्थान ग्रामीण स्वैच्छा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त /कार्यग्रहण नहीं किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

I.A.S.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्रधानाध्यापक/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 30.09.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार,
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर ।
- 3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा
- 7 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 8 सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग ।
- 9 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)